विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–97 / 2023

परिवादी

गिरजा कांड़पाल
एच.नं–108,
तपोवन बाईपास रोड़,भीमताल
जिला–नैनीताल,

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा अपने शिकायत पत्र में कहा गया है किः–विद्युत् विभाग उपखण्ड भीमताल द्वारा दिनांक 30.12.2022 में मुझे बिल भेजा गया हैं जिसकी राशि रू0 90103 है जो कि सितम्बर 2020 के बाद अब आया है। मेरे बार बार बिल भेजने के लिए आग्रह करने के बाद भी कोई कार्यवाई नहीं की गयी। महोदय मेरे निवास पर Solar Roof Top [4KW] लगा हुआ है जो कि निरंतर बिजली बना रहा है। परन्तु बिल में एक्सपोर्ट यूनिट निल दिखाई गयी है। जबकि मेरे मुख्य UPCL मीटर serial no. 72369157 मैं दिनांक 23.02.2023 तक इतनी यूनिट बनी है।

IP Unit-18685 Kwh
EP unit-17253KWh
Net-1431 KWH

जिसकी सूचना उपखण्ड अधिकारी भीमताल को लिखित में दिनांक 24.02.2023 में दे दी गयी है। महोदय ये रीडिंग UREDA द्वारा भेजें गए कर्मचारी द्वारा ली गयीं हैं

जिसके अनुसार मेरा Solar Panal निरंतर बिजली बना रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे बिल का उचित निवारण करने की कृपा करें।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:–

i. उपभोक्ता के मुख्य मापक और चैक मापक की रिडिंग में अत्यधिक अन्तर प्रदर्शित हो रहा है। जिस कारण उपभोक्ता के बिलों का समायोजन वर्तमान स्थिति में किया जाना सम्भव नहीं है।

ii. बिल के संशोधन हेतु एक वाईडाइरेक्शनल सोलर मापक लगाना आवश्यक है जिसका वहन उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है। विभाग के पास वाईडाइरेक्शनल सोलर मापक उपलब्ध नहीं है। UERC के अनुबन्ध के अनुसार उपभोक्ता को वाईडाइरेक्शनल सोलर मापक को खरीद कर उसका टेस्टिंग शुल्क (18प्रतिशत) **जी0एस0टी0** सहित जमा कर टेस्ट कर लगाने हेतु विभाग को उपलब्ध कराना होगा। जिसके पश्चात् ही रिडिंग में आये अन्तर के अनुसार उपभोक्ता के विल का समायोजन किया जा सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपभोक्ता को चैक मीटर टेस्ट करवाने हेतु रू0 200,00+18प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित धनराशि विभाग में जमा करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

3. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया हे कि:–आपके द्वारा दिए गए विद्युत् विभाग को नोटिस के उपरांत दिनांक 11 मार्च 2023 को सम्बंधित व्यक्ति द्वारा मेरा मीटर चैक किया गाया जिसमे IP यूनिट और EP यूनिट दोनों के ही यूनिट मुझे बताई गयी और कहा गया के आपका नया बिल इसके आधार पर आ जायेगा। तत्पश्चात JE विद्युत् विभाग भीमताल द्वारा दोबारा निरिक्षण किया गया और बताया गया कि आपके चैक मीटर की MRI ली जायेगी। पुनः MRI हेतु एक व्यक्ति 13 मार्च 2023 को आया काफी लम्बे समय तक MRI लेता रहा और मुझे विद्युत विभाग से इस सन्दर्भ मैं सूचना दी जाएगी का आश्वासन्न दे, कर चला गाया। और ये भी मौखिक रूप से कहा कि आपको चेक मीटर शायद बदलना पड़ सकता है जो कि UREDA से मुझे प्राप्त करना होगा और इस विषय मे मेरे द्वारा UREDA के JE से जब phone पर बात हुई तो उनका कहना है कि मीटर मुझे UPCL देगा। अभी तक मेरे मीटर सम्बन्धी मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इसको संज्ञान मे लेते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

4. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि:–उपभोक्ता श्री गिरजा काण्डपाल, बाईपास रोड, भीमताल को विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने एवं उक्त वाद से सम्बन्धित बाई–डाइरेक्शनल सोलर मापक लगवाने हेतु कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से दिनांक 31.03.2023 तक मंच में प्रस्तुत करने को कहा गया था।

अतः उक्त वाद में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक बाई–डाइरेक्शनल सोलर मापक लगवाने हेतु परीक्षण शुल्क की धनराशि जमा नही की गयी। जिस कारण उक्त प्रकरण में कोई सकारात्मक कार्यावाही नहीं हो पाई है। परीक्षण शुल्क की धनराशि जमा होने की उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

5. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि:–विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2023 का मेल आपके लिए जिसमे वे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी विभाग को दिनाक 31.03.2023 तक नहीं दी जाने के सम्बन्ध मे कह रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मैंने अपने पुत्र को 31.03.2023 बाई डायरेक्शनल मापक के रसीद कटवाने हेतु विभाग भेजा था। जहाँ SDO भीमताल द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि मापक के टेस्टिंग की रसीद नैनीताल में काटी जाएगी। जिसकी सूचना मेल द्वारा आपको 31.03.2023 को ही भेज दी गयी थी। महोदय मापक के टेस्टिंग हेतु मैंने अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग, नैनीताल को आवश्यक प्रपत्रों को एकत्र कर ज़िनमें से एक पत्र मुझे डीलर द्वारा 04.04.2023 को प्राप्त हुआ जिसे सांथ लगाते हुए आवेदन कर दिया गया है।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:–उपभोक्ता श्री गिरजा काण्डपाल, बाईपास रोड,भीमताल को विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने एवं उक्त वाद से सम्बन्धित बाई–डाइरेक्शनल सोलर मापक लगवाने हेतु कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा गया है उक्त वाद में उपभोक्ता श्री गिरजा काण्डपाल, बाईपास रोड, भीमताल द्वारा दिनांक 05.04.2023 को व्हाट्सअप के माध्यम से वाछिंत प्रपत्र व सोलर चैक मापक परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रति आपको संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। परंतु उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक बाई–डाइरेक्शनल सोलर मापक लगवाने हेतु परीक्षण शुल्क की धनराशि विद्युत वितरण खण्ड राजस्व अनुभाग में जमा नही की गयी है। परीक्षण शुल्क जमा करने हेतु उपभोक्ता को पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था। अतः परीक्षण शुल्क जमा होने के पश्चात् ही अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि:–आपके द्वारा भेजे गए हरेक पत्रांक के अनुसार मेरे द्वारा बिना किसी लापरवाही के कार्यवाही की जा रही है। मैं स्वयं अधिशासी अभियंता नैनीताल के कार्यालय गयी थी। प्रपत्र पूर्ण कर मेरे द्वारा शुल्क जमा कर दिया गया था। चूकि अधिशासी अभियंता 09.04.2023 तक अवकाश पर थे उनके आने के बाद दिनांक 10.04.2023 को रसीद प्राप्त हुई और 11.04.2023 को

अधिशासी अभियंता कार्यालय नैनीताल से मापक यन्त्र के विषय में सूचना प्राप्त हुई है।

8. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि:—उपभोक्ता गिरजा काण्डपाल, बाईपास रोड, भीमताल के सम्बन्ध में आपको निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:—

   i. उपभोक्ता द्वारा दिनांक 10.04.2023 को रू० 236.00 की धनराशि विद्युत वितरण खण्ड राजस्व अनुभाग में जमा कर दी गई है।

   ii. कार्यालय पत्रांक संख्या 534 दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला, भवाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्ल कर प्रेषित की जा रही है।

9. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:—

   i. उक्त वाद में उपभोक्ता गिरजा काण्डपाल, बाईपास रोड, भीमताल द्वारा दिनांक 18. 04.2023 को दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वाछिंत प्रपत्र व सोलर चौक मापक परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया एवं उक्त दिनांक में ही बाई—डाइरेक्शनल सोलर मापक सहायक अभियन्ता, मापक विद्युत परीक्षणशाला की बैंच को उपलब्ध करा दिया गया है।

   ii. .परंतु विद्युत परीक्षणशाला नैनीताल की बैंच खराब होने के कारण सहायक अभियन्ता मापक के द्वारा बाई—डाइरेक्शनल सोलर मापक रुद्रपुर की परीक्षणशाला में भेजा गया है। परीक्षणशाला में मापक की टेस्टिंग के उपरांत ही बाई—डाइरेक्शनल सोलर मापक लगाया जाना संभव हो पायेगा।

   iii. रुद्रपुर की परीक्षणशाला में मापक की टेस्टिंग में समय लगना सम्भव है। उक्त मापक की टेस्टिंग रिर्पोट आने एवं मापक को लगवाने में समय लग सकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त माप क रुद्रपुर की परीक्षणशाला से उपलब्ध होने के अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। पश्चात् ही अग्रिम एवं आवशयक कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा।

10. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया कि:—

   i. दिनांक 18.04.2023 को बाई—डाइरेक्शनल सोलर मापक सहायक अभियन्ता, मापक विद्युत परीक्षणशाला की बैंच को उपलब्ध करा दिया गया था। परन्तु विद्युत परीक्षणशाला नैनीताल की टेस्टिंग बैंच खराब होने के कारण सहायक अभियन्ता मापक के द्वारा बाई—डाइरेक्शनल सोलर मापक रुद्रपुर की परीक्षणशाला में भेजा गया था।

   ii. उपभोक्ता के परिसर पर दि० 30.04.2023 को मापक स्थापित कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली खपत के आधार पर ही बाई डाइरेक्शनल सोलर

मापक की रिडिंग का आंकलन किया जाना शेष है। उपभोक्ता के एक माह की खपत के आधार पर ही रिडिंग का आंकलन किया जा सकता है।

11. परिवादिनी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि:—मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि विद्युत् विभाग ने मेरे निवास पर bi-directional मापक (Saral) दिनांक 30.04.2023 को लगाया था। मेरा उनसे तब भी अनुरोध यह था कि मेरा main मीटर (LNT) (जिसमे विभाग की लाइन आ रही है) उसे छोड़ चेक मीटर (saral) को ही main meter क्यों बनाया जा रहा है जैसा पहले भी किया गया था। लाइनमैन का इस पर कहना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने उनसे आगे कुछ ना कहते हुए कर्यवाही आगे बढ़ने दी। वे नए मीटर को पुराने चैक मीटर जिसे विभाग ने खराब बता दिया था। उसी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए। अब यहाँ तीन मीटर आ गए हैं, दो SARAL के और एक LNT का, जिसमे LNT वाला मीटर अभी भी एक्सपोर्ट यूनिट और इम्पोर्ट यूनिट दोनों दिखा रहा था परन्तु दोनों ही SARAL के मीटर (नया और पुराना)सिर्फ इम्पोर्ट दिखा रहा थे एक्सपोर्ट नही। कुछ समय मैंने इंतजार कर स्वयं चैक करने की कोशिश की क्योंकि लगातार बारिश के कारण मुझे लगा एक्सपोर्ट यूनिट नहीं बन रही है, जिसमे विभाग दो दिन बाद आ कर सील भी लगा गाया। दिनांक 08.05.2023 को जब पुनः मेरे द्वारा सारे ही मीटर चैक किये गए तो पता लगा मेरे LNT मीटर में IP यूनिट 19290 और EP यूनिट 18091 है जो की दिनांक 23.2.23 में IP यूनिट 18685 और EP यूनिट 17253 थी जो प्रमाणित करता है की मेरे सोलर पैनल बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। विभाग को बताने पर वे UREDA की गलती बताते हैं और UREDA विभाग की, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरा नया सीरियल चेक मीटर अभी तक 123 IP यूनिट दिखा रहा था जिसमे EP था। इसके संदर्भ में मैने दिनांक 08.05.2023 को ए.ई. से संपर्क किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। मैंने अपने खर्चे पर UREDA के दो लोगों को बुलाया और ए.ई testing lab द्वारा भी 3 लोग डिपार्टमेंट से भेजे गए, जिसमें जे.ई. भी आए। आपसी संवाद के बाद ये मालुम चला के output line check meter के कनेक्शन पर नहीं दी गई थी इसलिए check meter में export unit नहीं दिख रही थी। ये भी मालुम चला कि हमारा पुराना मीटर भी खराब नहीं था। तत्पश्चात तीनों मीटर को सील कर दिया गया। इन सभी गतिविधियों की जानकारी हमारे द्वारा ए.ई को भी दी गई तो उन्होंने लाइन मैन को समय समय पर आकर मीटर चेक करने का आदेश दिया ताकि सही बिल बनाया जा सके। महोदय ए.ई ने भी आश्वासन दिया कि मेरे चैक मीटर की जगह मेरे पुराने मीटर को ही मैन मीटर बनाया जाए, जिसमें सही रीडिंग पहले ही आ रही थी। अभी तक की संपन्न गतिविधियां सूचनार्थ प्रेषित।

12. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:–उपभोक्ता गिरिजा काण्डपाल, एच0न0108, तपोवन, बाईपास रोड,भीमताल (संयोजन संख्या–592BJ21081367) के कम में आपको निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:–

i. उक्त के कम में आपके कार्यालय पत्रांक 782 दि० 10.05.2023 में दिये निर्देशानुसार चौक मापक की अन्तिम रिर्पोट के अनुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित किया जा चुका है।

ii. उपभोक्ता का विद्युत बिल CCBR के माध्यम से संशोधित कर रु0 90431.00 का समायोजन कर दिया गया है।

iii. CCBR के माध्यम से संशोधित करने के उपरान्त उपभोक्ता का कुल देय रु0 20118.00 है।

अतः मा0 फोरम से अनुरोध है कि समायोजन के उपरान्त उपभोक्ता को शेष धनराशि जमा करने का आदेश प्रदान कर वाद को समाप्त करने का कष्ट करें।

13. विपक्षी की इस कार्यवाही पर परिवादिनी द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि:–मेरे बिजली के बिल का संशोधन हो कर रू0 20118 की धनराशि मेरे द्वारा विभाग को देय बताई गयी है। परन्तु मैं अभी भी इस संशोधन से सतुष्ट नहीं हूँ। जैसा कि मुझे विभाग के मेल द्वारा बताया गया हैं कि मेरे चैक मीटर की रीडिंग के आधार पर मेरे बिल का संशोधन किया गया है। परन्तु मेरे चैक मीटर में IP यूनिट 662kwh और EP 649kwh दिनाक 11.07.2023 तक हैं। जिसमे नये चैक मीटर को गलत इनस्टॉल करने पर जिसे विभाग 10 दिन बाद समझ सका और दोबारा सील बदल कर कनेक्शन सही किया तब तक मेरी IP 122 kwh पहुच गयी थी, और EP 0kwh पर ही थी जिसके बारे मैं मैंने विभाग को पहले ही अवगत करा दिया था और उन्होंने मुझे अश्वासन दिया था कि ये रीडिंग इन्क्लूड कर ही मेरा संशोधित बिल आएगा। और IP और EP के आधार पर मैं इतने बिल की भुगतान की अपेक्षा नहीं करती।

14. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है:– उपभोक्ता का विद्युत बिल CCBR के माध्यम से संशोधित कर रु0 90431.00 का समायोजन कर दिया गया है एवं CCBR के माध्यम से संशोधित करने के उपरान्त उपभोक्ता का दि0 04.07.2023 को कुल देय रु0 20118.00 था। उपभोक्ता को दि० 11.07.2023 को वर्तमान विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।

15. परिवादिनी द्वारा पुनः अपनी अपत्ति में कहा गया है कि:–विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए बिल (रू0 20000) पर अपनी असहमति मेल द्वारा आपको अवगत करा चुकी हूँ चूकि मेरे IP यूनिट और EP यूनिट मैं बहुत कम अंतर है जिसका छायाचित्र मैंने अपने पहले

मेल में समिति के सामने प्रस्तुत करा है। महोदय आपसे विनम्र निवेदन है की उक्त तथ्य को ध्यान मैं रखते हुए बिल भुगतान हेतु निर्णय करने के कृपा करें।

16. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति पर विपक्षी/विभाग द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि:–

i. उक्त प्रकरण में उपभोक्ता का संयोजन सोलर रुफ टॉप होने के कारण उपभोक्ता के परिसर पर पूर्व से 02 मीटर SS10368398 (मैन मीटर) तथा 72369157 (चैक मीटर) लगे हुऐ थे।

ii. उपभोक्ता को केवल मेन मीटर के आधार पर ही बिल प्रेषित किये गये जिस पर उपभोक्ता के अनुरोध पर चैक मीटर स्थापित किया गया।

iii. उपभोक्ता के परिसर पर लगाये गये दोनों मीटरों SS10368398 (मैन मीटर) तथा 72369157 (चैक मीटर) में Import एवं Export यूनिटों का उपभोग समान पाया गया।

iv. उपभोक्ता का पूर्व से लगा चेक मापक सही होने के कारण उपभोक्ता के द्वारा किये गये अनुबन्ध एवं पूर्व के चैक मापक की रीडिंग के आधार पर बिल पूर्व से संशोधित कर दिया गया है।(आख्या के साथ सहायक अभियन्ता(मापक)की रिपोर्ट,बिल संशोधन गणना शीट एवं सोलर रूफ टॉप अनुबन्ध की प्रति संलग्न की गयी है।)

17. परिवादिनी द्वारा पुनः आपत्ति पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मेरे बिल के रीडिंग जो विभाग बता रहा है कि मेरे मेन मीटर से ली जाती रही है वो सरा सर गलत है। मेरे सारे बिल में जो सीरियल नंबर पड़ा हुआ है वो मेरे चैक मीटर (सीरियल नंबर SS10368398) का ही है, इसकी जानकारी मैं फोरम को अपने पहले मेल मैं भी दे चुकी हूँ। मेरा चेक मीटर मेरे सोलर पैनल लगने के साथ (सन् 2017) ही लगाया गया था जिसका कनेक्शन पहले से ही गलत किया गया था। दोबारा विभाग के ही कहने पर मैंने नया चेक मीटर AE meter से ही जानकारी लेने के पश्चायत मँगवाया और उस मीटर का कनेक्शन भी विभाग पुराने चैक मीटर के तरह ही कर गया जिसमें दोबारा से EP नही दिखाई दी। इसकी जानकारी मैंने फोरम को इससे पहले मेल द्वारा भेज दी थी। मीटर का कनेक्शन सही हुआ जब मैंने अपने खर्चे पर ओरेडा की टीम को बुलवाया और विभाग से भी कुछ लोग बुलवाये तब ओरेडा की टीम ने लाइन मैन और JE दोनों को बतलाया कि उनके द्वारा किया गया कनेक्शन गलत है, जिसकी विभाग द्वारा सील भी दोबारा बदली गयी. सही से कनेक्शन करने के पश्चात EP बढ़ने लगी। मई के महीने में विभाग का कहना है सबसे ज्यादा धूप रहती है पर इस बार सबसे ज्यादा बारिश रही और बादल लगे रहे जिसको में भी EP ना बढने का कारण समझ कर चुप रही पर 6–7 दिन बाद जब धूप निकली तब भी EP ना

बढ़ने पर मैंने विभाग को और औरेड़ा की टीम को बताया। मेरे बार बार बिल मांगने के बाद भी 2020 से मुझे कोई बिल नहीं दिया गया विभाग की ये गलती का भुगतान मैं क्यों करूं जैसा के मैं देख पर रही हूँ विभाग ने अपने मेल पर

0–100 यूनिट रू 290......

100–200 यूनिट रू 499

200–400 यूनिट रू 1100

दिया है। इस रेट पर मेरा बिल कैसे बनाया जा सकता है। मेरे अनुसार दिनांक 6 मार्च को किए गए मेल में नेट यूनिट 1431 (IP:18685,EP:17253) है इसके आधार पर कुल धन राशि 4436.10 जो की हमारी तरफ से देनी है, इसलिए मैं नहीं समझ पा रही कि विभाग द्वारा 20118 रुपए का बिल कैसे निकाला गया है।

कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि विभाग द्वारा भेजे गए बिल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट और पहले विभाग द्वारा लिए गए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट में इतना अंतर कैसे है।

18. परिवादिनी की आपत्तियों पर पत्रांक 2411,दिनांक 10.08.2023 के द्वारा विपक्षी की ओर से आख्या प्रस्तुत की गयी कि:–

i. उपभोक्ता का जो मीटर बिल में प्रदर्शित होता है वही मेन मीटर होता है उसी के आधार पर बिलिंग होती है। सोलर संयोजनों पर दूसरा चैक नीटर, मेन मीटर के खराब होने पर आवश्यक बिलिंग के लिए स्थापित किया जाता है।

ii. संयोजन संख्या 592BJ21081367 पर पूर्व में मेन मीटर SS10368398 तथा चैक मीटर 72369157 स्थापित थे। उपभोक्ता के चैक मीटर के आवेदन पर मेन मीटर व पूर्व चैक मीटर दोनो के साथ चैक मीटर लगाया गया जिसमें उपभोक्ता का मेन मीटर में Export यूनिट नहीं बढने पर तथा पूर्व चैक मीटर सही पाये जाने पर दिनांक 31.05.2023 को पूर्व चैक मीटर को उपभोक्ता के मेन मीटर में परिवर्तित कर, बिल में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात नई बिलिंग इस मीटर के आधार पर की जा रही है तथा परिसर पर चैक मीटर 17001476 स्थापित किया गया है।

iii. उपभोक्ता को Export Unit के सापेक्ष यू0पी0सी0एल0 द्वारा धनराशि रू0 9005.00 का भुगतान तथा धनराशि रू० 6935.65 का समायोजन कुल भुगतान धनराशि रू0 15990.65 पूर्व में समय समय पर की गई है (विवरण संलग्न लेजर की प्रति)

iv. उपभोक्ता के अनुसार दिनांक 06.03.2023 को IP-EP (18685–17253)=1432 यूनिट देय अतिरिक्त यूनिट यू0पी0सी0एल0 से ली गई है। जिनका EC(1432X2.90) धनराशि रू0 4152.80 तथा उपभोक्ता के अंतिम भुगतान 09/2020 से

12/2022 तक 27 माह का फिक्स चार्ज (27X210) धनराशि रू0 5670.00 कुल देय धनराशि रू0 982280 है।

v. पूर्व में मेन मीटर के आधार पर बिल बनने के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट में अंतर आया है। अतः उपभोक्ता को पूर्व चैक मीटर के अनुसार उपभोक्ता को किए गए भुगतान, समायोजन रू० 15990.65 तथा देय अतिरिक्त यूनिट, फिक्स चार्ज रू० 9822.80 कुल 25813.45 का भुगतान किया जाना लम्बित है।

19. दिनांक 17.08.2023 को मंच में उभय पक्षों की पुनः सुनवाई की गई। परिवादिनी मूल शिकायत उसके सोलर (रूफ टॉप) प्लान्ट की स्थापना उपरान्त इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट यूनिट के अन्तर पर विवाद से सम्बन्धित है। परिवादी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित मीटरों (मेन एवं चैक मीटर) का छायाचित्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान यह भी मंच के संज्ञान में आया कि उसके परिसर पर निवासरत किरायेदार हेतु सब–मीटर भी स्थापित किया गया है व मीटरों की स्थापना भी अस्त–व्यस्त रूप में पायी गयी (छायाचित्र के अनुसार)।

अतः उक्त के क्रम में विपक्षी/विभाग को पुनः निर्देशित किया गया कि वह परिवादी के साथ उसके परिसर में स्थापित मीटरों की अद्यतन रीडिंग संयुक्त रूप से निरीक्षित करें एवं मीटरो को व्यवस्थित रूप में स्थापित कर अद्यतन रीडिग के अनुसार, विद्युत के आयात/निर्यात (Import/Export) का पुनः आकलन करते हुये उसके अन्तर के आधार पर विद्युत देय की गणना कर पूर्ण विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

20. विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पत्र में कहा गया है कि:–उपभोक्ता के परिसर पर लगाये गये मापकों को व्यवस्थित कर सब मीटर को अन्यत्र स्थापित कर दिया गया है। उपभोक्ता के पूर्व चैक मीटर (वर्तमान मेन मीटर) का दिनांक 10.02.2018 से आयात/निर्यात का आकलन कर लिया गया है। आकलन के आधार पर उपभोक्ता को कुल रु0 21705.00 का बिल निर्गत किया गया है। जो कि मंच के मत में उचित प्रतीत होता है। तथापि परिवादिनी के वर्तमान बिल में से वर्तमान अवधि हेतु आरोपित बिलम्ब भुगतान अधिकार को कम किया जाना न्यायसंगत होगा। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की मूल शिकायत में संस्थित आपत्ति जो कि उसको नियमित तौर पर विद्युत बिल उपलब्ध न हो पाने से संबंधित भी थी, के संबध में ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में परिवादिनी को नियमित तौर पर बिल प्राप्त हो रहे हैं। उपरोक्त परिशीलन के आधार पर वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी के वर्तमान बिल से 504 रूपये का सरचार्ज हटाते हुए संशोधित बिल जारी करें तथा भविष्य में परिवादिनी को नियमित रूप से बिल प्रेषित किया जाये। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 06/9/2023

06/09/2023 | | 06/09/2023
(हिमांशु बहुगुणा) | (पी सी पाण्डेय) | (टीका राम जोशी)
सदस्य(उपभोक्ता) | सदस्य(तकनीकी) | सदस्य(न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित,हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 06/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा) | (पी सी पाण्डेय) | (टीका राम जोशी)
सदस्य(उपभोक्ता) | सदस्य(तकनीकी) | सदस्य(न्यायिक)